

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



सत्यमेव जयते

यह चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र
वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 2017 के
अधीन जारी किया गया है और 1958 की अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
कन्वेंशन संख्या 108 के अनुरूप है।

This Continuous Discharge Certificate
is issued under Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate)
Rules 2017 and is in conformity with the International
Labour Organisation Convention No. 108 of 1958.

जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर /
Signature of issuing authority

नाम / Name

पदाभिधान / Designation

मुद्रा / Seal



सरकारी, नौवहन
कार्यालय, मुंबई
GOVERNMENT
SHIPPING OFFICE,
MUMBAI

संतोष कुमार सिंह
SANTOSH KUMAR SINGH
उप नाविक पाल, मुंबई
DY SHIPPING MASTER, MUMBAI

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

सी.डी.सी. संख्या / CDC No. MUM 463992
शिपिंग मास्टर कार्यालय / Shipping Master Office MUMBAI

DEEPAK



चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र
भारत सरकार

जारी करने की तिथि / Date of Issue
09/05/2022

समाप्ति की तिथि / Date of expiry
08/05/2032

जन-मिति / Date of birth
17/11/2002

जन-स्थान / Place of birth
PUNE, MAHARASHTRA

राष्ट्रियता / Nationality Indian
लिंग / Sex M

उँचाई (कम) से.मी. में / Height in Cms : 161

आँखों का / बालों का रंग : BLACK / BLACK
Colour of eyes / Hair : BLACK / BLACK

इन्डोस सं. / INDOS No. : 21GM3008

सीफरर के हस्ताक्षर
Seafarer's Signature

परचान चिह्न /
Identification mark Black mole on -
right neck


समुद्री यात्रा के ब्यौरे /

क्रम सं. Sr. No.	पोत का नाम, शासकीय संख्या, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) संख्या, रजिस्ट्री का पत्तन, कि.वाट † Name of Ship, Official No., International Maritime Organisation (IMO) No., Port of Registry Kw. †	नियुक्ति की तारीख और स्थान Date and place of Engagement	उन्मोचन की तारीख और स्थान Date and place of Discharge
(1)	LPG/C PINZA P.O.R: SINGAPORE Call Sign: 9V3706 IMO No: 9790232 OFF No: 400375 GRT: 46,125 NRT: 17,035 BHP: 1 X 12,020 KW	02-MAR-2023 KASHIMA, JAPAN	25-OCT-2023 SINGAPORE
(2)			

* इन स्तंभों को नियुक्ति एवं उन्मोचन के समय भरा जाए।

* These columns are to be filled in at the time of Engagement & Discharge.

Details of Voyages

सीफायर का रैंक Rank of Seafarer	विदेशगामी यात्राओं/ निकट तटीय यात्रा/ भारतीय तट का वर्णन Description of Voyages Foreign Going / Near Coastal Voyage / Indian Coastal	मुद्रा सहित मास्टर के हस्ताक्षर Signature of Master with seal
D T S M	F. G.	LPG/C PINZA (1)  (2) MASTER
		(1)
		(2)

† इंजीनियर की पुस्तिका में किलोवाट दर्शाएं। रेडियो अधिकारी की पुस्तिका में वाणिज्य पोत परिवहन (संकट एवं सुरक्षा रेडियो संचार) नियम, 1995 के अनुसार पोत का सकल टनभार और बेतार श्रेणी दर्शाएं।

† In Engineer's Book insert Kilo Watts. In Radio Officer's Book insert gross tonnage and wireless classification of Ship as per Merchant Shipping (Distress and Safety Radio Communication) Rules, 1995.

कार्यालय उपयोग के लिए स्थान

Space for official use


रत उन्मायन प्रमाणपत्र

भारत सरकार



CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE

GOVERNMENT OF INDIA



सीफायरर का स्थायी पता

PERMANENT ADDRESS OF SEAFARER

SR NO 49/1, JUNA MUNDWA ROAD

WADGAON SHERI

PUNE, Maharashtra, 411014

टेलीफोन नं. (यदि कोई हो) / Tel. No. (If any)

9158079765

ई-मेल (यदि कोई हो) / E-mail (If any)

prathameshchandhare71805@gmail.com

सीफायरर का निकट सम्बन्धी

NEXT OF KIN OF SEAFARER

नाम / Name DEEPAK ANNA CHANDHARE

सम्बन्ध / Relationship FATHER

पता / Address SR NO 49/1

JUNA MUNDWA ROAD, WADGAON SHERI

PUNE Maharashtra

411014

टेलीफोन नं. (यदि कोई हो) / Tel. No. (If any)

9158079765

ई-मेल (यदि कोई हो) / E-mail (If any)

prathameshchandhare71805@gmail.com

सीफेयररों को सूचना

- (1) यदि सीफेयरर पलायन कर जाता है या कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी पुस्तिका उस पत्तन के नाविक पाल या काउंसल के पास मास्टर द्वारा जमा करा दी जाएगी जिस पत्तन से सीफेयरर ने पोत का त्याग किया था। नाविक पाल या काउंसल इस पुस्तिका को संबंधित नाविक पाल, मुंबई/कोलकाता/चेन्नई को विनिर्दिष्ट पते पर भेजे।
- (2) यदि यह प्रमाणपत्र विकृत हो जाता है या फट जाता है, पुरी तरह भंग जाता है या खो जाता है तो नाविक पाल, पुनः आवेदन करने पर, दूसरी प्रति जारी करने की व्यवस्था करेगा।
- (3) सीफेयररों को चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रमाणपत्र में की गई प्रविष्टियों में स्वतः कोई परिवर्तन न करें अन्यथा उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
- (4) सीफेयररों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक दस वर्ष के बाद च.उ.प्र. को पुनः विधिमान्य करा लिया जाए। ऐसा करते समय नया फोटो लगाया जाए।
- (5) यह सुनिश्चित किया जाए कि च.उ.प्र. में दिए गये सभी विवरण सही हैं। यदि उनमें कोई विसंगति पाई जाए तो उसे ठीक करने के लिए इसकी प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर जारी करने वाले कार्यालय को भेजा जाए। उक्त समय-सीमा के बाद, उसको ठीक करने के बारे में प्राप्त किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (6) यदि चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की वैधता अवाधि करारनामा के दौरान समाप्त होती है तो इसे करारनामा समाप्त होने तक वैध माना जायेगा।

टिप्पणीयाँ

सीफेयरर को दिए गए किसी अवार्ड या प्रशस्ति के प्रविष्टि के सामने नाविक पाल के हस्ताक्षर होंगे और उस पर मुहर लगाकर तारीख का उल्लेख किया जाएगा।

यदि यह प्रमाणपत्र किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसका इससे कोई संबंध नहीं है तो इसे संबंधित नाविक पाल, सरकारी नौबहन कार्यालय को सौंप दिया जाए।

NOTICE TO SEAFARERS

- (1) If the seafarer deserts or fails to join, his book will be deposited by the master with the shipping master or Consul of the port where he left the ship, who shall forward it to the concerned Shipping Master, Mumbai / Kolkata / Chennai at the specified address.
- (2) If this certificate becomes defaced or torn or filled up or if it gets lost the shipping master will, on application, arrange for the issue of a duplicate.
- (3) Seafarers are warned not to correct, alter or in any way tamper with the entries on this certificate as they are liable to be prosecuted if they do so.
- (4) Seafarers are informed that the C.D.Cs should be revalidated after every ten years and an additional recent photograph at the time of revalidation be affixed.
- (5) It may be ensured that the particulars mentioned in the C.D.C. are correct and if any discrepancies are noted, the same are to be intimated to the issuing office along with the C.D.C. for correction within 30 days from the date of receipt. Request for any corrections shall not be entertained after this deadline.
- (6) If the period of validity of C.D.C. expires during the Article, It shall be continued to be valid till the end of the Article.

NOTE

Record of any award or commendation received by the seafarer, the entry shall be signed by the Shipping Master, dated and stamped.

If this Certificate comes into possession of any person to whom does not belong, it should be handed over to the concerned Shipping Masters, Government Shipping Office.